



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802(अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 1495/अका./का.प./2023

रायपुर, दिनांक 06/03/2023

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की 'तिहत्तरवाँ' बैठक सोमवार दिनांक 06.03.2023 को सायं 05.00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

डॉ. केशरी लाल वर्मा, कुलपति –अध्यक्ष

- | | | | |
|-------------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| 1. डॉ. व्यास दुबे | – सदस्य | 5. श्री सत्यनारायण शर्मा | – सदस्य |
| 2. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट | – सदस्य | 6. श्री डमरूधर पुजारी | – सदस्य |
| 3. श्री गोविंद कुमार चंद्राकर | – सदस्य | 7. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह | – सदस्य |
| 4. डॉ. एम.एल. नायक | – सदस्य | | |

डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, प्रभारी कुलसचिव –सचिव

कार्यवृत्त

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 17.02.2023 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान करना।
निर्णय: संपुष्टि की गई।
2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 17.02.2023 की कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. श्री हीराराम वर्मा, सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधीक्षक के अवकाश नगदीकरण की राशि रूपए 6,14,807.00 (रूपए छः लाख चौदह हजार आठ सौ सात मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।
निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।
4. श्री परदेशी राम भोई, सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधीक्षक के अवकाश नगदीकरण की राशि रूपए 6,67,288.00 (रूपए छः लाख सड़सठ हजार दो सौ अठ्यासी मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।
निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

5. विश्वविद्यालय के दिवंगत तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्थानीय निधि संपरीक्षा से सातवें वेतनमान का निर्धारण के उपरांत वेतन अंतर के एरियर्स रु. 10,36,519/- (रुपए दस लाख छत्तीस हजार पाँच सौ उन्नीस मात्र) भुगतान किए जाने की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 5-1/2021/38-2 दिनांक 06.10.2021 तथा वित्त विभाग के वित्त निर्देश 33/2021 पत्र क्रमांक 1365/एफ- 01002199/एल-11-2/ब-4/चार अटल नगर दिनांक 17.12.2021 के अनुसार तथा माननीय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03.06.2022 के अनुमोदन उपरांत विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 2243/सा.प्रशा./2022 दिनांक 07.06.2022 के अनुसार विश्वविद्यालय के गैर-शैक्षणिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के माह जनवरी-2016 से अगस्त-2017, जुलाई-2018 से अगस्त-2018 तथा सितंबर-2017 से जनवरी-2018 के एरियर्स राशि का भुगतान किए जाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार एरियर्स की कुल राशि आयकर सहित रु. 10,36,519/- (रुपए दस लाख छत्तीस हजार पाँच सौ उन्नीस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

6. वित्तीय सत्र 2021-22 हेतु पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय शोध छात्रवृत्ति के लिए चयनित शोधार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने की अवधि के संबंध में विचार करना।

निर्णय: विचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यह सुनिश्चित कर लिया जाए की छात्रवृत्ति के लिए चयनित प्रत्येक शोधार्थी को संपूर्ण शोध-अवधि में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि का छात्रवृत्ति प्राप्त हो सके।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

7. कंप्यूटर अध्ययनशाला के लिए 08 नग कंप्यूटर एवं 08 यूपीएस क्रय हेतु रु. 8,10,776=00 (रुपए आठ लाख दस हजार सात सौ छिहत्तर मात्र) की कार्योत्तर प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

8. कला भवन सेमीनार हॉल एवं डॉ. सी.वी. रमन सेमीनार हॉल ऑडिटोरियम चेयर क्रय देयक रु. 31,52,827=00 (रुपए इकतीस लाख बावन हजार आठ सौ सत्ताइस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: मेसर्स, **Maks Enterprises, Opp. Amar Complex, Pandri, Raipur (C.G.)** की ओर से प्रस्तुत देयक रु. 31,52,827=00 (रुपए इकतीस लाख बावन हजार आठ सौ सत्ताइस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

9. रसायन अध्ययनशाला के लिए 15 नग कंप्यूटर, 15 यूपीएस क्रय हेतु रु. 11,96,216=00 (रुपए ग्यारह लाख छियानबे हजार दो सौ सोलह मात्र) की कार्योत्तर प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

10. वार्षिक परीक्षा 2023, केंद्रीय मूल्यांकन इकाई/नोडल मूल्यांकन केंद्रों को संचालन एवं लगभग 12,54,871 उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए अनुमानित राशि रूपए 1,95,68,265/- (रूपए एक करोड़ पंचानबे लाख अड़सठ हजार दो सौ पैसठ मात्र) अग्रिम स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्या-परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 06.03.2023 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. 04 महिला छात्रावास के लिए 12 नग कंप्यूटर एवं 12 यूपीएस क्रय हेतु रु. 9,44,997=00 (रूपए नौ लाख चौवालीस हजार नौ सौ संतानबे मात्र) की कार्योत्तर प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

3. स्मार्ट बोर्ड क्रय हेतु अनुबंधित फर्म, IT Applications, No. 53, Block 04, Akash Nagar, Avanti Vihar, Raipur (C.G.) के द्वारा प्रस्तुत देयक राशि रु. 97,93,410=00 (रूपए संतानबे लाख तिरानबे हजार चार सौ दस मात्र) के भुगतान किए जाने की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

4. University Examination-Results Automation कार्य हेतु विचार करना।

निर्णय: University Examination-Results Automation के संबंध में गठित समिति एवं संबंधित L1 फर्म भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकार संघ मर्यादित, आदर्श नगर, कांके रोड, रांची (NCCF) के मध्य बैठक में हुए Negotiation हेतु निम्नलिखित बिंदु निर्धारित किया गया—

1. फर्म द्वारा प्रस्तुत दर कम किया जाना।
2. फर्म द्वारा प्रस्तुत दर पर अन्य कार्य भी लिया जाना।
3. फर्म द्वारा प्रस्तुत दर कम किया जाना एवं अन्य कार्य भी लिया जाना।

A. दोनों पक्ष बिन्दु क्रमांक 3 पर सहमत हुए।

1. विश्वविद्यालय Complete work related to pre & post examination through scanning and image processing method along with supply of barcoded OMR answer sheet as per specification in tender document हेतु फर्म द्वारा रु. 430.00 (रूपए चार सौ तीस मात्र) per student per academic year के स्थान पर रु. 421.00 (रूपए चार सौ इक्कीस मात्र) per student per academic year किया गया।

B. निविदा में उल्लेखित कार्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य किए जाने पर सहमत हुई।

1. **National Co-operative Consumer's Federation of India Ltd., Adarsh Nagar, Kanke Road, Ranchi, Jharkhand** के द्वारा निविदा शर्तों एवं कार्यों के अलावा विश्वविद्यालय अकादमिक एवं वित्त विभाग के कार्यों का Automation एक वर्ष के भीतर, अतिविशेष परिस्थिति में तीन माह अतिरिक्त समय देते हुए पूर्ण किया जाएगा।
2. विश्वविद्यालय क्षेत्राधिकार अंतर्गत स्थापित स्वशासी महाविद्यालयों के प्रवेश संबंधी कार्य अतिरिक्त किया जाएगा।
3. विश्वविद्यालय के प्रायोगिक परीक्षा हेतु बिना OMR युक्त आठ पेज की उत्तर-पुस्तिका आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जाएगा।

अतः **University Examination-Results Automation** संबंधी कार्य हेतु फर्म **National Co-operative Consumer's Federation of India Ltd., Adarsh Nagar, Kanke Road, Ranchi, Jharkhand** को उपर्युक्त सहमति के आधार पर अनुमोदन किया गया।

5. विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह के लिए LED Wall Screen क्रय हेतु रु. 1,10,60,296=00 (रुपए एक करोड़ दस लाख साठ हजार दो सौ छियानबे मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

6. विश्वविद्यालय के फार्मसी संस्थान में मॉड्यूलर लैब निर्माण के संबंध में विचार करना।

निर्णय: फार्मसी संस्थान में 07 मॉड्यूलर लैब निर्माण किए जाने हेतु फर्म **Hitendra Enterprises, C/36, Sec-1, Shankar Nagar, Raipur (C.G.)** का दर Rs. 39,29,400.00 (रुपए उनतालीस लाख उनतीस हजार चार सौ मात्र) का कार्यादेश जारी किए जाने का अनुमोदन किया गया।

7. ऑडिटरियम चेयर क्रय हेतु अनुबंधित फर्म **M/s. Methodex Systems Private Limited, DS-5, Ashoka Milleneum, Ring Road No. 1, Raipur (C.G.)** द्वारा प्रस्तुत कुल देयक रु. 73,93,799.00 (रुपए तिहत्तर लाख तिरानबे हजार सात सौ निन्यानबे मात्र) का 25 प्रतिशत राशि रु. 18,48,450.00 (रुपए अठारह लाख अड़तालीस हजार चार सौ पचास मात्र) रोककर 75 प्रतिशत राशि रु. 55,45,349.00 (रुपए पचपन लाख पैतालीस हजार तीन सौ उनचास मात्र) भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

8. विश्वविद्यालय परिसर के 12 भवनों के बाह्य पोताई कार्य हेतु अनुबंधित फर्म मेसर्स, संस्कृति इंफ्रा, रायपुरा, रायपुर द्वारा प्रस्तुत द्वितीय चल देयक राशि रु. 22,76,791=00 (रुपए बाईस लाख छिहत्तर हजार सात सौ इंक्यानबे मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

9. विश्वविद्यालय परिसर के बाऊंड़ीवाल के बाह्य पोताई कार्य हेतु अनुबंधित फर्म मेसर्स, संस्कृति इंफ्रा, रायपुरा, रायपुर द्वारा प्रस्तुत प्रथम चल देयक राशि रु. 7,14,287=00 (रुपए सात लाख चौदह हजार दो सौ सत्यासी मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।
निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

10. शास. दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर को राजनीतिविज्ञान विषय में शोध-केंद्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में विचार करना।
निर्णय: शास. दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर को राजनीतिविज्ञान विषय में अस्थाई रूप से तीन वर्ष के लिए शोध केंद्र की मान्यता प्रदान करने का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष के अनुमति से अन्य प्रकरण


सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-


1. श्री जानकी प्रसाद शर्मा, बर्खास्त कर्मचारी के प्रकरण पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अद्यतन की गई कार्यवाही संबंधी जानकारी एवं अग्रिम कार्यवाही के संबंध में विचार करना।
निर्णय: श्री जानकी प्रसाद शर्मा के प्रकरण का संक्षेपिका समस्त सदस्यों को प्रदान करने एवं आगामी कार्यपरिषद् की बैठक में प्रस्तुत किए जाने का निर्णय लिया गया।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

1. शिक्षा अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 31.01.2023 एवं विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 06.03.2023 में किए गए अनुशंसा उपरांत पाठ्यक्रम M.Ed. Special Education (I.D.) नवीन अध्यादेश क्रमांक-199 एवं P.G. Diploma in Early Intervention (PGDEI) नवीन अध्यादेश क्रमांक-200 के अनुमोदन पर विचार करना।
निर्णय: अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।



कुलपति
अध्यक्ष


प्रभारी कुलसचिव
सचिव

पृ.क्रमांक : 1496 / अका./ का.प./ 2023
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 06/03/2023

- माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
- आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
- कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
- अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
- संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
- वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
- कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप-कुलसचिव (अका.)